केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 31.01.2017

**सी.पी.डब्ल्यू.डी. को 8.22 लाख रू. की हानि पहुँचाने पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. के तत्कालीन सहायक निदेशक एवं प्राइवेट फर्म के मालिक को तीन वर्ष की कठोर कारावास**

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, भोपाल ने बागवानी, सी.पी.डब्ल्यू.डी., भोपाल के तत्कालीन सहायक निदेशक, श्री आर.टी. बैन्स को 50,000 रू. के जुर्माने सहित 03 वर्ष की कठोर कारावास एवं मैसर्स युवा कॉसट्रक्शन्स, इन्जीनिरिंग एण्ड कॉसल्टेन्टे, भोपाल के मालिक श्री अभिषेक सिंह गौर को 30,000 रू. के जुर्माने सहित 03 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने बागवानी, सी.पी.डब्ल्यू.डी. प्रभाग, भोपाल के उप-निदेशक ; बागवानी, सी.पी.डब्ल्यू.डी. प्रभाग, भोपाल के सहायक निदेशक ; मैसर्स युवा कॉसट्रक्शन्स, इन्जीनिरिंग एण्ड कॉसल्टेन्टे, भोपाल के मालिक ; ठेकेदार व अन्यों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दिनांक 30.04.2009 को मामला दर्ज हुआ। ऐसा आरोप था कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. के उक्त कर्मियों एवं सी.पी.डब्ल्यू.डी के अज्ञात कर्मियों ने वर्ष 2007-09 के दौरान मैसर्स युवा कॉसट्रक्शन्स, इन्जीनिरिंग एण्ड कॉसल्टेन्टे, भोपाल के मालिक सहित प्राइवेट व्यक्तियों के साथ आपराधिक षड़यंत्र किया एवं सिक्योरिटी पेपर मिल्स (एस.पी.एम.), होशांगावाद में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा पौधों, गमलों, खाद व काली कपास मिट्टी की आपूर्ति के बिना तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी., भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में शैलोद्यान व भूनिर्माण (रोकरीज एण्ड लैण्डस्कैपिंग) के कार्य को करवाये बिना ही जमा किये गये जाली एवं झूठे बिलों को कपटपूर्ण तरीके से पास कर दिया। सी.पी.डब्ल्यू.डी को 8,22,791 रू. (लगभग) की राशि की कथित हानि हुई।

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, भोपाल की अदालत में आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 14.07.2010 को आरोप पत्र दायर किया।

विचारण अदालत ने उक्त आरोपी व्यक्तियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

**********